रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2006/आषाढ़ 26, 1928
No. 322] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2006/ASADHA 26, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 427(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम 2006 का अनुमोदन करती है ।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के प्रवधानों के अनुसरण में कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, एतद्द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) विनियम 1964 संशोधित करता है;

1. (i) ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम, 2006 कहे जाएंगे ।

   (ii) ये विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) विनियम, 1964 के विनियम 6 के अधीन रहते हुए विद्यमान सारणी संख्या I को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

सारणी संख्या I

आवास का प्रकार	गोपालपुरी/कांडला में नीचे दिए गये मासिक मूल वेतन आहरण सीमा के अनुसार कर्मचारी की आवास के प्रकार के लिए पात्रता
प्रकार I (एफ)	रु. 5030 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
प्रकार II (ई)	रु. 5031 से रु. 7120 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
प्रकार III (डी)	रु. 7121 से रु. 8520 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
प्रकार IV (सी)	रु. 8521 से रु. 12600 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी

आवास का प्रकार	गोपालपुरी/कांडला में नीचे दिए गये मासिक मूल वेतन आहरण सीमा के अनुसार कर्मचारी की आवास के प्रकार के लिए पात्रता
प्रकार V (बी)	रु. 17501 और अधिक आहरित करने वाले अधिकारी और ऐसा न होने पर रु. 12601 से रु. 17500 तक मूल वेतन आहरित करने वाले I और II श्रेणी के सभी अधिकारी
प्रकार VI (ए)	उपाध्यक्ष तथा विभाग प्रमुख और ऐसा न होने पर रु. 17501 से अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले अधिकारी

3. कांडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) विनियम 1964 के विनियम 6 के अधीन रहते हुए विद्यमान सारणी संख्या II को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

सारणी संख्या II

आवास का प्रकार	वाड़ीनार में नीचे दिए गये मासिक मूल वेतन आहरण सीमा के अनुसार कर्मचारी की आवास के प्रकार के लिए पात्रता
"ए" प्रकार	रु. 5445 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
"बी" प्रकार	रु. 5446 से रु. 7860 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
"सी" प्रकार	रु. 7861 से रु. 12600 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी
"डी" प्रकार	रु. 12601 और अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी

[फा. सं. पी आर-12016/28/2005-पी ई-I]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

(i) प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं और संख्या सा.का.नि. 300 दिनांक 29-2-1964 में अधिसूचित हैं ।

(ii) पत्र संख्या पीईके (52)/75 दिनांक 21-10-1975 के द्वारा संशोधित और दिनांक 27-11-1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ।

(iii) संख्या सा.का.नि. 1173(अ) दिनांक 31-10-1986 द्वारा संशोधित ।

(iv) संख्या सा.का.नि. 887(अ) दिनांक 26-10-1990 द्वारा संशोधित ।

(v) संख्या सा.का.नि. 326(अ) दिनांक 2-7-1991 द्वारा संशोधित ।

(vi) संख्या सा.का.नि. 657(अ) दिनांक 21-9-1999 द्वारा संशोधित ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2006

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Amendment Regulations, 2006 made by the Board of Trustees of Kandla Port as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulation shall come into from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In pursuance of the provision of the Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby amends the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964;

1. (i) These Regulations shall be called Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Amendment Regulations, 2006.

   (ii) These Regulations shall come into force on the date of publication in the Official Gazette of the approval of the Central Government thereto.

2. Substitute the existing Table No. I under Regulation 6 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 by the following table :

TABLE NO. I

Type of Residence	Eligibility of employees to the type of residence at Kandla/Gopalpuri drawing monthly basic pay in the range given below
Type I (F)	Employee drawing basic pay upto Rs. 5030
Type II (E)	Employee drawing basic pay upto Rs. 5031 to Rs. 7210
Type III (D)	Employee drawing basic pay upto Rs. 7121 to Rs. 8520
Type IV (C)	Employee drawing basic pay upto Rs. 8521 to Rs. 12600
Type V (B)	Officers drawing basic pay of Rs. 17501 and above failing which all Class I & II Officers drawing basic pay from Rs. 12601 to Rs. 17500
Type VI (A)	Dy. Chairman and HODs failing which Officers basic pay above of Rs. 17501

3. Substitute the existing Table No. II under Regulation 6 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 by the following table :

TABLE NO. II

Type of Residence	Eligibility of employees to the type of residence at Vadinar drawing monthly basic-pay in the range given below
'A' Type	Employee drawing basic pay upto Rs. 5445
'B' Type	Employee drawing basic pay upto Rs. 5446 to Rs. 7860
'C' Type	Employee drawing basic pay upto Rs. 7861 to Rs. 12600
'D' Type	Employee drawing basic pay upto Rs. 12601 and above.

[F. No. PR-12016/28/2005-PE-I]
A.K. BHALLA, Jt. Secy.

Foot Note :

(i) The Principal Regulations were published in the Gazette of India as notified in No. GSR 300 dated 29-02-1964.

(ii) Amended vide letter No. PEK (52)/75 dated 21-10-1975 published in the Official Gazette dated 27-11-1975.

(iii) Amendment *vide* No. GSR 1173 (E) dated 31-10-1986.

(iv) Amendment *vide* No. GSR 887 (E) dated 26-10-1990.

(v) Amendment *vide* No. GSR 326 (E) dated 2-7-1991.

(vi) Amendment *vide* No. GSR 657 (E) dated 21-9-1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.